

न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। पत्रिका में आदेश दिया गया है।
दिनांक 6/3/26 कोर्ट में।

न्यायालय श्रीम

सिविल न्यायाधीश
बाराक जिला अजमेर (राज.)

6/3/26

अपील (अनुच्छेद 226) में आदेश दिया गया है कि R10CPL को
द्वारा न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। पत्रिका में
आदेश दिया गया है कि R10CPL दिनांक 17/3/26 कोर्ट में।

1. बिरदीच
2. अब्दु
3. इब्र
4. रा
5. ध

सिविल न्यायाधीश
बाराक जिला अजमेर (राज.)